गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है। इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सूचित किए जाते हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ समिति की बैठकों (बैठक शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है) के लिए 30,000 रुपये प्रति बैठक की दर से उपस्थित रहने का शुल्क दिया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार है।

सरकार एवं एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित अंशकालिक निदेशकों को कंपनी से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।